पंजीयन क्रमांक ए.आर.एम.डी.एस 512 दिनांक 8.10.90

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित

नाहर सय्यद बाबा दरगाह रोड किटियानी मन्दसौर (म.प्र)

उत्तम सेवा –सहयोग के लिये वचन बद्व

25 वी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 18 सितम्बर 2016

लेखा जोखा

वर्ष 2014–2015

बुक–पोस्ट

क्रमांक. ./16 दिनांक. / /2016

सदस्यता क्रमांक.........................

श्रीमान / श्रीमति..कार्यालय..........................

..............................म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ....जिला मन्दसौर / नीमच (म.प्र.)

....प्रेषक...

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित

नाहर सय्यद बाबा दरगाह रोड़ किटियानी मन्दसौर (म.प्र.) दुर.256381

मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर

जावक क्रमांक ./16   दिनांक . .2016

: वार्षिक साधारण सभा की सूचना :–

केवल सदस्यो के लिये

महोदय,

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर की पच्चीसवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 18 सितम्बर 2016 रविवार को प्रात : 10.00 बजे '' श्रम शिविर '' अफीम गोदाम रोड मन्दसौर में होगी । निर्धारित समय के पश्चात नियमानुसार गण संख्या (कोरम)की पूर्ति नहीं होने पर सभा स्थगित कि जाकर उसी दिन निर्धारित समय के 30 मिनिट पश्चात सभा का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा । जिसमें गण संख्या पूर्ति होने का प्रतिबंध नहीं रहेगा ।

– कार्य की सूची :–

(1) संस्था में वर्ष 2014–2015 का अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय पत्रक का अनुमोदन करना ।

(2) कार्य कारिणी द्वारा किये गये वर्ष 2014–2015 के लाभ के विनियोग की स्वीकृती ।

(3) वर्ष 2017–2018 के लिये प्रस्तावित अनुमानित (आयव्यय पत्रक)बजट स्वीकृत करना एंव वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय जिन मदो में हुआ है अनुमोदन करना ।

(4) कुटुम्ब कल्याण सहायता योजना नियमावली के उपविधि क्रमांक 5 (4) व 6(4) में संशोधन बाबत ।

(5) कुटुम्ब कल्याण सहायता योजना नियमावली के सम्माननिधि क्रमांक 7 (6) 3 में संशोधन बाबत ।

(6) प्रतिवर्ष लाभांष की राशि नगद भुगतान करने या अकाउन्ट में जमा करने बाबत ।

(7) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) (क) के प्रावधान अनुसार वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लेखाओं की वेधानीक संपरिक्षा हेतु संपरिक्षक/संपरिक्षक फर्म की नियुक्ति करने विषयक ।

(8) संस्था के सेवानिवृत सदस्यों का सम्मान व सम्माननिधि राशि के चेक भेंट करना ।

(9) संस्था सदस्यों के प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओ का सम्मान ।

(10) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

(11) अतिथीयों का उदबोधन ।

(12) संस्था के दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजली,समापन एवं प्रितिभोज ।

नोट :–

(1) वार्षिक साधारण सभा में अगर सदस्य कोई सुझाव रखना चाहते है तो आमसभा के सात दिन पूर्व संस्था को कार्यालयीन समय में लिखित में प्रस्तुत करें ।

(2) लाभांश राशि का वितरण आमसभा के पश्चात किया जावेगा एवं 28 फरवरी 2017 तक कार्यालयीन समय में किया जावेगा तथा दिनांक 28–2–2017 तक भुगतान नहीं ले जाने की स्थिति में राशि सदस्य के अनिवार्य संचय खाते में जमा कर दी जावेगी ।

(3) संस्था मुख्यालय से बाहर कार्यरत सदस्यों के कार्यक्षेत्र में संचालक मण्डल के सदस्य भ्रमण कर लाभांश भुगतान की व्यवस्था करेगे ।

(4) आमसभा से संबंधित समस्त विवरण संस्था के वेबसाईट www.mpebesssm.co.in उपलब्ध है ।

मधूसुदन जोशी

प्रबंधक

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर

वार्षिक विवरण–पत्र

सम्मानिय सदस्यगण,

संस्था की प्रबंधकारिणी समिती संस्था के रजत जयंती पचीसवीं वार्षिक साधारण सभा के शुभ अवसर पर आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती है । संस्था के कार्य एवं प्रगति के कार्यो का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । संस्था द्वारा इस अवधि में जो कार्य किये गये एवं जो प्रगति संस्था ने कि है उसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

सदस्यता :–

संस्था की सदस्य संख्या 31.3.15 पर 889 थी वर्ष 2015–16 में संस्था में 45 सदस्य ने सदस्यता ग्रहण की वर्ष 2015–16 में 64 सदस्य सेवानिवृत हुए व 6 सदस्य दिवंगत हुए इस प्रकार वर्षान्त 31.3.16 पर संस्था की सदस्य संख्या 864 है ।

अंशपूंजी :–

संस्था की अधिकृत अंशपूंजी में आशा अनुरूप वृद्वि हुई है , दिनांक 31.3.15 की स्थिति में 2,38,91,300.00 रूपये अंशंपूजी थी जिसमे वर्ष 2015–16 में 24,50,800.00 रूपये की वृद्वि हुइ सदस्यता समाप्त होने के कारण अंशपूंजी रूपये 21,44,100.00 सदस्यों को वापस की गई 31.3.2016 पर अंशंपूजी रूपये 2,41,98,000.00 जमा है ।

केशक्रेडिट बैंक से:–

संस्था ने अपने सदस्यों को ऋण प्रदाय करने हेतु 60 लाख रूपये केश क्रेडिट लिमिट जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मन्दसौर से स्वीकृत करवाया था किन्तु वर्ष 2015–16 में केशक्रेडिट का उपयोग नही किया गया है एवं वर्ष 16–17 के लिए 60 लाख स्वीकृत की गई है । संस्था अपनी पूंजी से ही सदस्यों को ऋण उपलब्ध करा रही है ।

ऋण :–

संस्था सदस्यों को निम्नानुसार ऋण स्वीकृत करती है :–

(दुर्घटना एवं अन्य ऋण की विस्तृत जानकारी ऋण सुविधाओं में सलग्न है)

शुद्व लाभ :–

संस्था को वर्ष 2014–2015 में 51,34,291.50 पेसे का शुद्व लाभ हुआ था । तथा संस्था को वर्ष 2015–2016 में 52,09,466.00 पैसे का शुद्व लाभ हुआ है । संस्था द्वारा ब्याज में कमी करने के पश्चात भी निरंतर वृद्वि हो रही है ।

अनिवार्य संचयी अमानत :–

अनिवार्य संचय अमानत में 31.3.15 पर 6,57,37,080.00 जमा थे वर्ष 2015–2016 में 1,77,63,404.00 ब्याज एवं सेवानिवृत एवं दिवंगत सदस्यो को भुगतान करने के पश्चात वर्षान्त 31.3.16 पर 6,83,48,558.25 संस्था के सदस्यों की अनिवार्य संचयी अमानत जमा है ।

कुटुम्ब सहायता एवं सम्मान निधि :–

वर्ष 2014–2015 में कुटुम्ब सहायता राशि 39,05,343.75/– रूपये थी वर्ष 2015–2016 में मृतक 9 सदस्यों के नामांकित उत्तराधिकारीयों को 4,95,000/–रूपये तथा सेवानिवृत सदस्यों को सम्माननिधि रूपये भुगतान करने के पश्चात वर्षान्त 31.3.16 पर रूपये 36,51,451.75 इस निधि में जमा है ।

द्वितिय कुटुम्ब सहायता निधि में से प्राप्त ब्याज पर दिवंगत 6 सदस्य के नामिनी को 3,00,000 रूपये का भुगतान किया गया इस मद में 31.3.16 पर रूपये 33,29,100 रूपये जमा है ।

संचालक मण्डल

कमांक	ऋण का प्रकार	अधिकतम ऋण	ऋण शेष 31.3.16 पर
1	नगद ऋण	6,00,000	10,73,87,961.00
2	प्लाट एवं मकान ऋण	20,00,000	1,96,39,610.00
3	उच्च शिक्षा ऋण	5,00,000	11,28,349.00
4	चार पहिया ऋण	5,00,000	13,32,327.00
5	अनाज/त्यौहार ऋण	30,000	2,57,503.00
6	दुर्घटना/गंभीर बिमारी ऋण	1,00,000	2,16,105.00

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित , मन्दसौर (म.प्र.),

म.प्र.वि.म.कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित मन्दसौर

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं तस्दीक करता हूॅ कि , मैंने म.प्र.वि.म.कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित मन्दसौर का पंजीयन क्रमांक 512 दिनांक 8. 10.90 का ऑडिट रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म.प्र.के नियत किए गए तरीकों पर पूरा किया है ।

2. सर्टिफिकेट संस्था के दफतर में रखा है और कारोबार आमतौर पर उचित तरीके पर फायदे के मुताबिक व ईमानदारी से किया गया है ।

दिनांक 1 अप्रेल 2014 से दिनांक 31 मार्च 2015 तक के हिसाब की जांच की गई है जो गलतियां मिली है, उनका जिक्र ऑडिट नोट में कर दिया गया है । मेरी राय में हिसाब सिल्लक का नक्शा मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सूचनाऐं मुझे दी गई है और जैसी कुछ संस्था की किताबों से प्राप्त हुई है , उनके अनुसार संस्था के कारोबार का सच्चा और ठीक–ठीक हाल प्रदर्शित करता है ।

कार्य अच्छा होने से ।

में संस्था को '' अ '' वर्ग में रखता हूॅ ।

स्थानः– मन्दसौर

(आर.के.जैन)
वरिष्ठ सकारी निरिक्षक
म.प्र.वि.म.कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित मन्दसौर

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर (म.प्र.)

सदस्यों को परिवर्तित ऋण सुविधाएँ

संस्था अपने सदस्यों को निम्न तालिका के अनुसार ऋण स्वीकृत कर प्रत्येक शुक्रवार को संस्था में पूंजी उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जाता है ।

(1) नगद ऋण :–

क.	सदस्यता अवधि	नगदऋण प्रथम	नगद ऋण द्वितीय	नगद ऋण तृतीय
1.	एक माह की सद. से एक वर्ष तक	1,00,000	1,00,000	1,00,000
2.	एक वर्ष से तीन वर्ष तक	2,00,000	1,60,000	1,40,000
3.	तीन वर्ष से अधिक	2,50,000	2,00,000	1,50,000

(2) **प्लाट ऋण एवं मकान ऋण** कुल रूपये 20,**00,000/– (बीस लाख)** रूपये मात्र का भुगतान किया जाता है ।

(3) **उच्च शिक्षा ऋण** शैक्षणिक संस्था के मांग पत्र के आधार पर अधिकतम राशि 5,**00,000/–(चार लाख)** का भुगतान सीधे शैक्षणिक संस्था को किया जाता है ।

(4) **चार पहिया वाहन ऋण** अधिकतम 5,**00,000/–(पांच लाख)** रूपये जिन्होने मकान/प्लाट ऋण नहीं लिया है उन्हे ही इसकी पात्रता आती है ।

(5) **अनाज/त्यौहार ऋण :–** अधिकतम रूपये 30,**000/– (बीस हजार)** रूपये मात्र भुगतान वर्ष में एक बार किसी भी त्यौहार पर अथवा माह अप्रेल/मई में अनाज ऋण का भुगतान किया जाता है ।

(6) **दुर्घटना गंभीर बिमारी ऋण** :– 30,000/– व बाहर रेफर करने पर अधिकतम 1,0**0,000/–** रूपये ।

संविदा सदस्यों को ऋण सुविधाएँ

संस्था अपने संविदा सदस्यों को निम्न तालिका के अनुसार ऋण स्वीकृत कर प्रत्येक शुक्रवार को संस्था में पूंजी उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जाता है ।

नगद ऋण :—

संचालक मण्डल को उक्त ऋण सीमा में समय—समय पर परिवर्तन किये जाने का अधिकार रहेगा ।

उक्त ऋण सीमा में समय—समय पर संचालक मण्डल द्वारा धन की उपलब्धता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।

क	सदस्यता अवधि	नगदऋण प्रथम	नगद द्वितीय	नगद तृतीय
1.	एक माह की सद. से एक वर्ष तक	60,000	40,000	30,000
2.	एक वर्ष से दो वर्ष तक	60,000	50,000	40,000
3.	दो से तीन वर्ष से अधिक	70,000	60,000	50,000

संस्था के सदस्यों को नगदी प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय द्वितीय ऋण मिलाकर ऋण की अधिकतम सीमा 6,00,000 / — अक्षरी छः लाख रूपये मात्र है ।

जो सदस्य कुटुम्ब कल्याण निधि के सदस्य नहीं है उन्हें केवल 50000 / — तक के ऋण भुगतान की पात्रता होगी । अन्य सदस्यों के लिये लागू ऋण सीमा की सुविधा भी सदस्य अगर स्वयं के जीवन पर जीवन बिमा निगम की चालू पॉलिसी संस्था के नाम बंधक रखते है तो पूरी ऋण सीमा का लाभ प्राप्त कर सकते है । पूर्व में लिये गये ऋण की 50 प्रतिशत अदायगी रकम जमा करने के पश्चात अगले माह में होगी । विशेष परिस्थितियों में उसी माह में भी स्वीकृत कर भुगतान किया जा सकेगा ।

संस्था में सभी ऋण चेक से ही भुगतान किये जाते है ।

शंकरलाल खरे	एस.के.सोलंकी	डी.एस.चन्द्रावत
संचालक	संचालक	अध्यक्ष
ऋण समिति	ऋण समिति	ऋण समिति

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर (म.प्र.)

संस्था में ऋणों पर लागु ब्याज दरें

1.	मकान, प्लाट क्रय, मकान निर्माण चार पहिया वाहन ऋण	– 11 प्रति. वार्षिक मासिक कटमिति पद्धति से
2.	नगद ऋणो पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अनाज क्रय के लिये	– 12 प्रतिशत वार्षिक मासिक कटमिती पद्धति से,
3.	उच्च शिक्षा हेतु ऋण पर	– 10.5 प्रतिशत से
4.	दुर्घटना/गंभीर बीमारी ऋण	– 10.5 प्रतिशत से

अनिवार्य संचय अमानत पर :– संस्था अपने सदस्यों को अनिवार्य संचय अमानत राशि जमा पर 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करती है । एवं प्रत्येक वर्ष दीपावली पूर्व ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है ।

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित , मन्दसौर (म.प्र.),

दिनांक 18 सितम्बर 2016, रविवार को संस्था की पचीसवी वार्षिक साधारण सभा के शुभ अवसर पर अपने समस्त सदस्यों शुभचिंतकों तथा अमानतदारो का

हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है ।

आवश्यक जानकारी:–

(1) संस्था की कुटुम्ब कल्याण सहायता योजना की निधि से किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नामिनी को रूपये 55000/– की सहायता व द्वितिय कुटुम्ब सहायता योजना के सदस्य की मृत्यु होने पर 50000/– इस प्रकार कुल रकम 1.05 लाख का भुगतान किया जाता है, बशर्त कि द्वितिय कुटुम्ब सहायता योजना में सदस्य ने 6 माह की सदस्यता पूर्ण कर ली हो ।

(2) सदस्य की दुर्घटना मृत्यु पर संस्था की और से 1 लाख रूपये की दुर्घटना सहायता भुगतान की जाती है । बशर्त बीमा फार्म पूर्ण भरकर संस्था में प्रस्तुत कर दिया हो ।

(3) सदस्य की अधिवार्षीकी आयु सेवा निवृति पर संस्था में सदस्यता अवधि वर्षो की गणना पर प्रतिवर्ष 2000 रूपये के मान से कुटुम्ब सहायता के सदस्यों को सम्मान निधि एवं श्रीफल शाल भेंट कर आमसभा में सम्मानित किया जाता है ।

(4)मांगलिक कार्य हेतु सहकार भवन उपलब्ध है ।

(5) ऋण आवेदन पर बैंक व शाखा का नाम तथा बैंक खाता कमांक दर्ज करना अनिवार्य है ।

(6) सदस्यों का स्थानांतरण होने पर संस्था को आवश्यक रूप से सूचित कर नया पता सूचित करें ।

(7) उत्तराधिकारी के साथ स्वंय का पासपोर्ट फोटो देवें व संस्था के दस्तावेजों में हस्ताक्षर करें ।

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर (म.प्र.)

संस्थापक अध्यक्ष स्व.श्री आर.एल.जोशी

................................वर्तमान संचालक मण्डल................................

1. श्री डी.एस.चन्द्रावत	अध्यक्ष	9425078855
2. श्री अन्तरसिंह जमरा	उपाध्यक्ष	9907451281
3. श्री एस.सी.श्रीवास्तव	संचालक	9424034062
4. श्री कमलाशंकर भट्ट	संचालक	9424079391
5. श्रीमति तारा गोस्वामी	संचालक	07422255235
6 श्री शंकरलाल खरे	संचालक	9407101779
7. श्री रामचन्द्र मालवीया	संचालक	9977740764
8.श्री जाहिद हुसेन	संचालक	9424537906
9.श्री एस.के.सोलंकी	संचालक	9424538551

....**कार्यालयीन कर्मचारी**..

1. श्री मधुसूदन जोशी	प्रबंधक	9407161228
2. श्री एस.एल.शर्मा	लेखापाल	9406640235
3. श्री राजेश शर्मा	लिपिक	8518053235
4. श्री विनोद कुमार पंवार	लिपिक	9755213633
5. श्री भरत कुमार शर्मा	लिपिक	9981108679
6. श्री रविन्द्रसिंह चौहान	भृत्य	8827068777

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर
संचालक मण्डल के ठहराव क्रमांक 11,12 दिनांक 13.08..2016 अनुसार

परिशिष्ट 4,5

संस्था की कुटुम्ब कल्याण सहायता योजना की नियमावली की उपविधि क्रमांक 5 (4), 6(4) व 7(6) 3 में संशोधन किया गया जीसकी स्वीकृती बाबत।

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की मूल शब्दावली	उपविधि के संशोधित शब्द	संशोधन के कारण
क्रं.5(4)	इस योजना के अन्तर्गत सदस्यों को प्रतिमाह 100/–रूपये की राशि जमा कराना होगी, चुक की दशा में प्रति 100/– रू.की राशि पर प्रतिमाह 5/– रूपये के मान से दण्ड राशि जमा कराना होगी । एवं लगातार छः माह तक राशि जमा न होने की स्थिति में ऐसे सदस्य को इस योजना से पृथक कर दिया जावेगा । इस निधि की कोई रकम वापस नहीं की जावेगी इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार संस्था के संचालक मण्डल को होगा ।	इस योजना के अन्तर्गत सदस्यों को प्रतिमाह 150/–रूपये की राशि जमा कराना होगी, चुक की दशा में प्रति 150/– रू.की राशि पर प्रतिमाह 5/– रूपये के मान से दण्ड राशि जमा कराना होगी । एवं लगातार छः माह तक राशि जमा न होने की स्थिति में ऐसे सदस्य को इस योजना से पृथक कर दिया जावेगा । इस निधि की कोई रकम वापस नहीं की जावेगी इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार संस्था के संचालक मण्डल को होगा ।	कुटुम्ब कल्याण सहायता योजना प्रथम के कोष में वृद्धि करने एवं दिवंगत सदस्य के नामिनि की सहायता राशि में वृद्धि करने हेतु ।
क 6(4)	दिवगंत सदस्य के नामिनि अथवा वैघ उत्तराधिकारी को भुगतान की जाने वाली राशि का समायोजन निम्नानुसार कुटुम्ब कल्याण सहायता निधि में से किया जावेगा संस्था की निधि के सदस्य की साधारण मृत्यु पर रू. 55,000(पचपन हजार) किया जावेगा किन्तु सदस्य के किसी भी प्रकार की दुर्घटना से मृत्यु होने पर नामिनी नामिनी को 1,55,000/– एक लाख पचपन हजार का भुगतान किया जावेगा इनमे से 1,00,000/– एक लाख रूपये इन्शोरेन्स कंपनी से प्राप्त कर भुगतान किया जावेगा । प्रिमियम संस्था भुगतान करेगी । संस्था के ऐसे सदस्य जो संस्था की कुटुम्ब कल्याण सहायता निधि के सदस्य नहीं है उनकी दुर्घटना सं या सापं के काटने से मृत्यु होने पर ही रू 1,00,000/–(एक लाख) इन्शोरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर भुगतान कराये जावेगें ।इंन्शोरेंस कंपनी को देय प्रिमियम संस्था अपने मद से जमा करेगी एवं सदस्य से किसी प्रकार की राशि नहीं ली जावेगी । दुर्घटना भुगतान की स्कीम प्रांरभ होने से 10 वर्ष के लिये लागु रहेगी । स्कीम चालु होने के बाद बनने वाले सदस्य को इस लाभ के लिये स्वंय को प्रिमियम जमा करना होगी ।	दिवगंत सदस्य के नामिनि अथवा वैघ उत्तराधिकारी को भुगतान की जाने वाली राशि का समायोजन निम्नानुसार कुटुम्ब कल्याण सहायता निधि में से किया जावेगा संस्था की निधि के सदस्य की साधारण मृत्यु पर रू. 1,00,000/–(एक लाख रूपये) किया जावेगा किन्तु सदस्य के किसी भी प्रकार की दुर्घटना से मृत्यु होने पर नामिनी नामिनी को 2,00,000/– दो लाख का भुगतान किया जावेगा इनमे से 1,00,000/– एक लाख रूपये इन्शोरेन्स कंपनी से प्राप्त कर भुगतान किया जावेगा । प्रिमियम संस्था भुगतान करेगी । संस्था के ऐसे सदस्य जो संस्था की कुटुम्ब कल्याण सहायता निधि के सदस्य नहीं है उनकी दुर्घटना सं या सापं के काटने से मृत्यु होने पर ही रू 1,00,000/–(एक लाख) इन्शोरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर भुगतान कराये जावेगें ।इंन्शोरेंस कंपनी को देय प्रिमियम संस्था अपने मद से जमा करेगी एवं सदस्य से किसी प्रकार की राशि नहीं ली जावेगी । दुर्घटना भुगतान की स्कीम प्रांरभ होने से 10 वर्ष के लिये लागु रहेगी । स्कीम चालु होने के बाद बनने वाले सदस्य को इस लाभ के लिये स्वंय को प्रिमियम जमा करना होगी ।	कुटुम्ब कल्याण निधि अंशदान बढाने से एवं सदस्यों के परिवार के `आर्थिक सरंक्षण हेतु।
क 7(6)3	26 वर्ष व अगले प्रत्येक वर्ष के लिये 2500/–रू बढाकर सदस्य के सेवानिवृत्ती तक ।	26 वर्ष व अगले प्रत्येक वर्ष के लिये 2000/–रू अगले प्रत्येक वर्ष के लिये भी सदस्य के सेवानिवृत्ती तक ।	सेवानिवृत सदस्यो को भविष्य में भी सम्मानित करने के उद्वेश्य से ।